In the court of Sri Sudesh Kr. Srivastava, District and Additional Sessions Judge, III[rd], Buxar

S.Tr.no. - 379/2025
Satya Pandey @ Bimal Pandey @ Satyanand Pandey Vs State

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

सत्रवाद संख्या - 379/2025

सत्या पांडेय उर्फ बिमल पांडेय

बनाम्

बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से	– श्री अरूण सिंह, (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से	– श्री सुरेश सिंह, (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

23.02.2026 दिनांक 13.08.2025 से काराधीन आवेदक/अभियुक्त सत्या पांडेय उर्फ बिमल पांडेय उर्फ सत्यानंद पांडेय पिता– स्व0 त्रिवेणी पांडेय की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन, सिकरौल थाना कांड संख्या 94/2025 अंतर्गत धारा 81, 103, 3(5) भा0न्या0सं0 को प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की एक प्रति अपर लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना।

2. प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक की बहन की शादी मृतिका का शादी आवेदक/अभियुक्त के साथ वर्ष 2021 में हुआ था। शादी के बाद सूचक को पता चला कि आवेदक का पहले से ही कुसुम देवी से शादी हुआ है एवं पहली पत्नी भी साथ में ही रहती है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही आवेदक एवं उसकी मांग तथा पहली पत्नी दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। जिसकी सूचना मिलने पर सूचक आवेदक को डेढ़ लाख रूपये कैश दिये। उसके बाद भी अभियुक्तगण मारपीट एवं दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। दिनांक 12.08.2025 को समय बजे दिन में आवेदक के व्हाटस्प के स्अेटस पर अपनी बहन के शव को देखा तो सूचक वगैरह बक्सर पहुंचे तथा स्थानीय पुलिस बक्सर नगर थाना को सूचना देने उपरांत मृतिका की बहन के शव को बरामद कर सदर अस्पताल बक्सर में पोस्टमार्टम कराये। सूचक की बहन को उसके पति, सास एवं सौतन ने मिलकर दहेज को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि, आवेदक/अभियुक्त का इससे पूर्व कोई भी जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में न तो दाखिल है न ही लंबित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 13.08.2025 से न्यायिक हिरासत में है। घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या हथियार नहीं पाया गया है। वाद दैनिकी के अवलोकन से पाया जाता है कि मृतिका कुछ दिनों से बिमार थी। मृतिका एच0आई0वी0 से संक्रमित थी तथा उसकी मौत स्वाभाविक रूप से हुई थी। सह–अभियुक्त विद्यावती देवी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रि0 मिस0 सं0 3089/2026 दिनांक 20.01.2026 को जमानत प्रदान किया गया है। इसलिए अभियुक्त/आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

S.Tr.no. - 379/2025

Satya Pandey @ Bimal Pandey @ Satyanand Pandey Vs State

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है जिस पर सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज हेतु प्रताड़ना एवं जान मारने का आरोप है। सह–अभियुक्त विद्यावती देवी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0 मिस0 सं0 3089/2026 दिनांक 20.01.2026 को जमानत प्रदान किया गया है। न्यायालय द्वारा केन्द्रीय काराधीक्षक, बक्सर को आवेदक/अभियुक्त के एच0आई0वी0 संक्रमण से ग्रसित होने के बाबत प्रतिवेदन की मांग की थी जिनके द्वारा दिनांक 20.02.2026 को प्रतिवेदन इस आशय का दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त एच0आई0वी0 संक्रमित है जिसका वर्तमान में सदर अस्पताल बक्सर में इलाज चल रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 13.08.2025 से न्यायिक हिरासत में है। वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अतः उक्त तथ्यों विवेचना तथा आवेदक द्वारा कारा में बिताई हुई अवधि एवं आवेदक के एच0आई0वी0 से संक्रमित होने के तथ्य को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त सत्या पांडेय उर्फ बिमल पांडेय उर्फ सत्यानंद पांडेय द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को 10000 (दस हजार) X 2 बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किया जाता है, आवेदक/अभियुक्त का एक जमानतदार उनका निकट संबंधी होगा, आवेदक प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे तथा वाद निष्पादन में हर तरह का सहयोग करेंगे।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

(सुदेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।
दिनांक– 23.02.2026

पश्चात
23/2/26

कुल दो अभियुक्तों में एक काराधीन अभियुक्त को VIC द्वारा कारा से उपस्थापित कराया गया एवं एक अन्य अभियुक्त की हाजिरी है। अभियोजन की ओर से साक्ष्य नहीं है। वाद दिनांक 7/3/26 वास्ते साक्ष्य।